(मैनुअल-8)
निर्णय लेने की प्रक्रिया

- विभाग में किसी विषय पर निर्णय लेने के लिए सचिवालय मैनुअल के नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
- प्रार्थना पत्र निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0, लखनऊ के नाम से लिये जाते है। जिन पर नियमानुसार कार्यवाही संबंधित खण्ड/अनुभाग द्वारा कार्यालय अधीक्षक के माध्यम से प्रस्तावित की जाती है। पत्रावली संबंधित खण्डाधिकारी की अनुमोदन/संस्तुति के उपरांत निर्णय हेतु निदेशक, पंचायतीराज को भेजी जाती है।
- पंचायतराज अधिनियम एवं नियमावली में संशोधन एवं नीति विषयक से संबंधित प्रस्ताव संस्तुति सहित शासन को उचित निर्णय हेतु प्रेषित किये जाते है।
- विभागीय कर्मियों के विरू(अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी में निहित है और निर्णय के विरू(अपील उससे उच्च अधिकारी को किये जाने का प्राविधान है।
- अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार शासन में निहित है।

(मैनुअल-9)

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका